

## प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

### अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/90402/MRB/MORADABAD/1426/CFO

दिनांक: 25-07-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **J K CHILDREN ACADEMY** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता **VILLAGE BHAISOND POST KUNDARKI,VILLAGE BHAISOND POST KUNDARKI TEHSIL BILARI,MORADABAD** तहसील - **BILARI**, प्लाट

एरिया **8320.00 sq.mt** , कुल कवर्ड एरिया **2637.72** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL BLOCK	2	0	7.41 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **J K CHILDREN ACADEMY** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **27-07-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **BALRAM SINGH, jkchildrenacademymbd@gmail.com,9319321334** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **27-07-2023** से **26-07-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **J K CHILDREN ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **J K CHILDREN ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

**Note :** प्रश्रगत आवेदित शैक्षणिक भवन का अग्निशमन द्वितीय अधिकारी मोहित कुमार द्वारा अपलोड मानचित्र एवं अभिलेखों का परीक्षण तथा स्थलीय निरीक्षण किया गया तो भवन में अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था शासनादेश संख्या 18/छ.-पु0-8-2022-905-(34)/2016 टी0सी0 दिनांक 07-01-2022 के एनेक्सजर.बी के अनुसार मानकों के अनुरूप कार्यशील दशा में स्थापित पायी गयी उक्त शासनादेश के अनुसार सैट बैंक की सहमति सम्बन्धित सत्ताप्राधिकारी से लेना अनिवार्य होगा। विधुत व्यवस्थापन की जाँच विधुत सुरक्षा निदेशालय से करा लिया जाए तथा अग्निशमन व्यवस्था को कार्यशील दशा में रखते हुए प्रशिक्षित स्टॉफ उपलब्ध रखा जाए अग्नि द्वितीय अधिकारी की संस्तुति आख्या के आधार पर निर्गत।

**"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"**

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(KRISHNA KANT OJHA)

निर्गत किये जाने का दिनांक : 27-07-2023  
स्थान : MORADABAD

[FAD078289550F5D9B50FEA91CFAF11EFC241D0E9]

27-07-2023